जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2020/डी–1216 दिनांकः– 08/9/2020

–:कार्यवाही विवरणः–

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 229वीं बैठक दिनांक 04.09.2020 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

1. **एजेण्डा नम्बर 229.1 (07.08.2020):–**

विषयः– **भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 228वीं बैठक दिनांक 07.08.2020 को सम्पन्न हुई, 228वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा।**

निर्णयः– *भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की दिनांक 07.08.2020 को सम्पन्न हुई 228वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा की गई एवं कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।*

2. **एजेण्डा नम्बर 229.2 (04.09.2020)(जोन–08):–**

विषयः– खसरा नम्बर 240, 241, 246, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जयपुर के संबंध में।

आवेदक का नामः– श्री प्रशान्त गुप्ता, निदेशक, मैसर्स अभिनन्दन लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि.।

निर्णयः– *समिति द्वारा एजेण्डा नोट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं साथ ही यह तथ्य नोट किया गया कि भवन मानचित्र अनुमोदन की अधिकांश पत्रावलियों जिनमें बेटरमेन्ट लेवी के चैक अनादरित होकर प्राप्त हो रहे हैं एवं विकासकर्ताओं द्वारा सतत् रूप से निवेदन किया जा रहा हैं कि कोरोना महामारी की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में काफी मंदी हैं एवं इस समय बेटरमेन्ट लेवी एवं अन्य बडी राशि (बकाया ब्याज) जमा करायें जाने में शिथिलता दी जावें। ज्ञातव्य हैं कि राज्य सरकार द्वारा भी कोरोना महामारी के चलते बेटरमेन्ट लेवी की राशि चार किश्तों में डेढ़ वर्ष में जमा कराने की बजाय पांच किश्तों में चार वर्ष में जमा करायें जाने की शिथिलता हेतु आदेश दिनांक 12.05.2020 एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु मानचित्र अनुमोदन शुल्क आदि मदों की राशि को दिनांक 31.12.2020 तक जमा करायें जाने की शिथिलता हेतु आदेश दिनांक 28.07.2020 जारी किये गये हैं।*

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि बेटरमेन्ट लेवी एवं बकाया ब्याज की राशि के समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक कमेटी का गठन किया जावें। कमेटी में निम्न सदस्य होगें:– निदेशक (नगर आयोजना), निदेशक (वित्त) एवं अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)। उक्त कमेटी के समक्ष सदस्य सचिव, बीपीसी–बीपी द्वारा ऐसे समस्त प्रकरणों की पत्रावली समस्त तथ्यों के साथ प्रस्तुत करेगें एवं समिति द्वारा ऐसे प्रकरणों के संबंध में बेटरमेन्ट लेवी की राशि जमा करायें जाने, अन्य बकाया राशियों को जमा करायें जाने के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लिया जाकर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।

Scanned with CamScanner

3. **एजेण्डा नम्बर 229.3 (04.09.2020)(जोन–12):–**

विषयः– खसरा नम्बर 1230/3436, 1231, 1234, 1234/2, 1234/3, ग्राम नींदड़, तहसील आमेर, जयपुर के संबंध में।

आवेदक का नामः– श्री विपुल गिलारा, पार्टनर, श्री आश्रय गोल्ड

निर्णयः– *समिति द्वारा एजेण्डा नोट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि विकासकर्ता के आवेदन पर बीपीसी–बीपी द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन का निर्णय दिनांक 24.04.2017 को लिया गया तथा भवन अनुज्ञा दिनांक 29.06.2017 को जारी की गई जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.04.2017 को अर्थात बीपीसी–बीपी की बैठक से पूर्व ही जारी की जा चुकी थी, के अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अनुसार 200 यूनिट को 24 माह में बनाया जाना अनिवार्य था, किन्तु विकासकर्ता द्वारा 24 माह व्यतीत होने के पश्चात एक वर्ष निकल जाने पर भी 200 यूनिट का निर्माण नहीं किया गया। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.04.2017 में उल्लेखित सामान्य प्रावधान के बिन्दु संख्या 4ई के अनुसार जोन स्तर पर शास्ति की गणना कर विकासकर्ता से शास्ति की राशि ली जावें।*

8/9/2020
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.नि./बीपीसी(बीपी)/2020/डी– 1216
दिनांकः– 08/9/2020

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा एवं माननीय मंत्री महोदय, नविवि एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(प्रशासन)/(एलपीसी)/(भूमि), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–08 एवं 12, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही विवरण को अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. उप निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

8/9/2020
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ठ–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 229वीं बैठक दिनांक 04.09.2020 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1. श्री गौरव गोयल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष,
2. श्री आलोक रंजन, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3. श्री आर.के. विजयवर्गीय, निदेशक, (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
4. श्री राजीव जैन, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
5. श्री गिरीश पाराशर, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
6. श्री ओ.पी. पारीक, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी जविप्रा, जयपुर।	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थेः–

1. श्री मुकेश जांगिड, उप नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जयपुर।

8/9/2020

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Scanned with CamScanner